

आदेश बइजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 686/2023 (धारा 14 अंतर्गत सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)
यूको बैंक, लालसोट, जिला दौसा।

– प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री शंभू सिंह,
2. श्रीमती पदमा कंवर पत्नी श्री पृथ्वी सिंह,
पता:- राजपूत मोहल्ला, ग्राम भगवतपुरा, पोस्ट चंद्रसैन, लालसोट, जिला दौसा
एवं वार्ड नं. 5, भटियारा मोहल्ला, चाकसू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण/ऋणी एवं गारन्टर



Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002

1. श्रीमती अंजुम, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से

आदेश

दिनांक 30.06.2023


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु दिनांक 22.06.2016 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी 1. श्रीमती पदमा कंवर के स्वामित्व की सम्पत्ति मिसल संख्या 99/2002-03, वार्ड नं. 5, भटियारा मोहल्ला, चाकसू, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 149.88 वर्गगज एवं 2. श्री पृथ्वी सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति मिसल संख्या 98/2002-03, वार्ड नं. 5, भटियारा मोहल्ला, चाकसू, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 149.88 वर्गगज को बंधक कर कुल राशि 10,50,000/-रूपये की राशि का ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.02.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गए। नोटिस जारी किये जानें के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 10,50,000/-रूपये की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी गई है। अप्रार्थीगण का

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 09,36,732/- रूपय जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.02.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी 1. श्रीमती पदमा कंवर के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति मिसल संख्या 99/2002-03, वार्ड नं. 5, भटियारा मोहल्ला, चाकसू, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 149.88 वर्गगज एवं 2. श्री पृथ्वी सिंह के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति मिसल संख्या 98/2002-03, वार्ड नं. 5, भटियारा मोहल्ला, चाकसू, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 149.88 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर / पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।




(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर